



The Bihar Self-Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2008

Act 29 of 2008

Keyword(s):

Apex Society, Functional Directors, Co-operative Banks

Amendment appended: 7 of 2013

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 583) 3 पौष 1930 (श०)
पटना, बुधवार 24 दिसम्बर 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

24 दिसम्बर 2008

सं० एल०जी०-1-23/2008/लेज:193—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

(बिहार अधिनियम 29, 2008)

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) में संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 में धारा-2 (थ) तथा (द) का जोड़ा जाना।-धारा-2(त) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा।-

(थ) "सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में यथा परिभाषित सहकारी बैंक,

(द) "बीमाकृत बैंक" से अभिप्रेत है डिपोजिट इंसोरेंस तथा क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन अधिनियम 1961 में यथा परिभाषित बीमाकृत बैंक।

3. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अध्याय VII के बाद नया अध्याय VII A का जोड़ा जाना।-

बिहार स्वावलम्बी सहाकारी समिति अधिनियम 1996 में अध्याय VII के बाद निम्नलिखित अध्याय VII क जोड़ा जायेगा।

"अध्याय - VII क

सहकारी बैंकों के लिए विशेष उपबंध

38क। अध्याय का सहकारी बैंको पर लागू होना।- (1) इस अध्याय के उपबंध इस अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी बैंको पर, इस अधिनियम के अन्य भागों में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त लागू होंगे। जहाँ प्रकट अथवा विवक्षित विसंगति का कोई प्रश्न उत्पन्न हो वहाँ इस अध्याय के उपबन्ध इस अधिनियम के अन्य भागों के उपबन्धों पर प्रभवी होंगे।

(2) इस अध्याय के प्रयोजनार्थ निक्षेप बीमा निगम से तात्पर्य है निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 (संख्या 47, 1961) के अधीन स्थापित निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम तथा रिजर्व बैंक से तात्पर्य है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (संख्या 2, 1934) के अधीन स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

38ख। रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षा किये जाने पर निबंधक द्वारा कतिपय आदेश पारित किये जायेंगे।-(1) सहकारी बैंक जो बीमाकृत बैंक है, के मामले में निबंधक को निम्न शक्तियाँ प्रदत्त होंगे।

(i) निक्षेप बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा-13D में वर्णित परिस्थितियों रिजर्व बैंक द्वारा यदि रजिस्ट्रार से वैसी अपेक्षा की जाए तो वह किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश दे सकेगा।

(ii) जहाँ केन्द्रीय सरकार ने किसी सहकारिता बैंक के संबंध में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (संख्या 10, 1949) की धारा-45 की उप धारा (2) के अधीन अधिस्थगन आदेश दिया हो, वहाँ उसके संबंध में समझौता या व्यवस्था या पुर्ननिर्माण या समामेलन की स्कीम बनाई जाय।

(iii) यदि रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षा करने पर लोकहित में, अथवा किसी सहकारी बैंक के काम-काज निक्षेपकर्त्ताओं के हित में अहितकर होने देने से रोकने के लिए या सहकारी बैंक का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए या अवक्रमण तथा प्रबंध

समिति के निष्कासन की जाय तो रजिस्ट्रार, ऐसी शर्तों पर और कुल मिलाकर पाँच वर्षों से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाय, उस सहकारी बैंक की प्रबंध समिति यह अन्य प्रबंध निकाय को (चाहे वह जिस किसी नाम से भी कहा जाय) अतिष्ठित करने तथा उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित करेगा। नियुक्त प्रशासक अपने कार्य काल की समाप्ति के बाद भी नये प्रबंध समिति के गठन के एक दिन पूर्व तक अपने पद पर बने रहेंगे। प्रशासक को प्रबंध समिति की सारी शक्तियाँ प्रदत्त होंगी, तथा वे निबंधक के सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण में कार्य करेंगे।

- (2) बीमाकृत सहकारी बैंक के मामले में, सहकारी बैंक की सामान्य निकाय समझौता से संबंधित योजना, व्यवस्था या संविलयन या पुनर्निर्माण बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम 1996 की धारा-11 के तहत रिजर्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना निर्णय नहीं ले सकेगा।
- (3) इस अधिनियम की धारा-43 के तहत सहकारी बैंक स्वतः अपने विघटन की स्वीकृति नहीं देगा या इस अधिनियम की धारा के अधीन गठित सहकारी न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा-44 के तहत किसी सहकारी बैंक के विघटन या समापन हेतु आदेश रिजर्व बैंक के लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं दे सकेगा।
- (4) अध्याचना या रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बाद उपधारा (1), (2) तथा (3) के तहत पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विचार स्वीकार नहीं होगा। ऐसा आदेश या स्वीकृति पर किसी भी रीति से प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।-

38ग। परिसमापक के द्वारा निक्षेप बीमा निगम की प्रतिपूर्ति।-जहाँ कोई सहकारी बैंक, बीमाकृत बैंक होने के नाते परिसमापित हो जाय या समापनाधीन कर लिया जाय और निक्षेप बीमा निगम उस अधिनियम की धारा-16 की उपधारा (1) के अधीन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को भुगतान करने की दायी हो जाय तो निक्षेप बीमा निगम को उस अधिनियम की धारा-21 में उपबंधित सीमा तक और रीति से प्रतिपूर्ति की जायगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

24 दिसम्बर 2008

सं०एल०जी०-1-23/2008/लेज:194—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 18 December, 2008 को अनुमत बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2008 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र कुमार मिश्र,
सचिव।

[Bihar Act 29, 2008]

The Bihar self- Supporting Co- operative societies (Amendment) ACT, 2008

AN

ACT

To AMEND THE BIHAR SELF- SUPPORTING CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1996(BIHAR Act 2, 1997)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Fifty Ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. **Short Title, Extent and Commencement:-** (1) This Act may be called the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2008.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.
2. **Addition of section- 2(q) and (r) in the Bihar Self- Supporting Co-operative Societies Act, 1996 -** The following shall be added after section -2(p) -
" (q) "Co-operative Bank" means a co-operative bank as defined in the Banking Regulation Act, 1949.
(r) "Insured Bank" means a co-operative bank as defined in the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961."
3. **Addition of a new chapter VII-A after chapter VII of the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996.-**
In the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996 the following Chapter VII-A shall be inserted after Chapter VII.

"CHAPTER-VII-A

Special Provision for Co-operative Banks

- 38 A. Application of the chapter to co-operative Banks- (1) The provisions of this chapter shall apply to a Co-operative Bank registered under this Act. In addition to the provisions contained in other parts of this Act, where any question of apparent or implied inconsistency arises, the provisions of this chapter shall prevail over the provisions of the other parts of this Act.
(2) For the purposes of this chapter Deposit Insurance Corporation means the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation established under the Deposit Insurance and credit Guarantee Corporation Act, 1961 (47 of 1961) and Reserve Bank means the Reserve Bank of India established under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934)
- 38 B. Certain orders to be passed by the Registrar if so required by the Reserve Bank-**
- (1) In the case of a co-operative bank which is an insured bank, the Registrar shall have power-
 - (i) if so required by the Reserve Bank, in the circumstances mentioned in section-13D of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, to make an order for winding up of a co-operative bank.
 - (ii) where an order of moratorium has been made by the Central Government under sub section (2) of section-45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10, 1949) to make an order sanctioning a scheme of compromise or arrangement or amalgamation or reconstruction including division or reorganisation of the co-operative bank.
 - (iii) if so required by the Reserve Bank, in the public interest, or for preventing the affairs of the Co-operative bank being conducted in a manner detrimental to the interest of depositor or for securing the proper management of the bank an order for supersession and removal of the Committee of the Management or other Managing body, by whatever name called, of the Co-operative bank and the appointment of an Administrator thereof for such period or periods not exceeding five years in the aggregate as may from time to time be specified by the Reserve Bank and the Administrator so appointed, shall after the expiry of his term, continue in his office until the day proceeding the date of the first taking over by the new board of such bank. The Administrator will have all powers of the Managing Committee and will discharge its function under the general supervision and control of the Registrar.
 - (2) In the case of co-operative bank which is an insured bank, the General Body of a co-operative bank shall not decide the sanctioning of a scheme of compromise or arrangement or amalgamation or reconstruction of such bank under section-11 of this Act, unless previous sanction in writing from the Reserve Bank is obtained.

- (3) The co-operative bank on its own motion shall not authorise its own dissolution under section-43 of this Act or the Co-operative Tribunal constituted under this Act shall not order for dissolution or liquidation and dissolution of any co-operative bank under section-44 of this Act, unless previous sanction in writing from the Reserve Bank is obtained.
- (4) No appeal, revision or review shall lie against an order made under sub-section (1) (2) and (3) on the requisition or previous sanction granted by the Reserve Bank and such order or sanction shall not be liable to be called in question in any manner.

38 C. Reimbursement to the Deposit Insurance Corporation by the Liquidators -

Where a Co-operative Bank being an insured bank is wound up or taken into liquidation and the Deposit Insurance Corporation has become liable to pay the depositors of the insured bank under sub-section (1) of section-16 of that Act, the Deposit Insurance Corporation shall be reimbursed by the Liquidator or such other person in the circumstances, to the extent and in the manner provided in section-21 of the Deposit Insurance Corporation Act, 1961."

By Order of the Governor of Bihar,
RAJENDRA KUMAR MISHRA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 583-571+400-डी0टी0पी0।



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1935 (श10)
(सं0 पटना 400) पटना, बुधवार, 22 मई 2013

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
22 मई 2013

सं० एल0जी0-1-9/2013/लेज 81—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 15 मई, 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

(बिहार अधिनियम 7, 2013)

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2013

बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।— चूँकि, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक संस्था के रूप में गठन के साथ सदस्यों के सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए सदस्यों की आर्थिक सहभागिता, सदस्यों के जनतांत्रिक नियंत्रण एवं स्वायत्त कार्यकलाप से समितियाँ अपने सदस्यों के हित में और अधिक सार्थक रूप में कार्य कर सकेंगी;

और, चूँकि, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्य में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकलाप, जनतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करे एवं उसका उन्नयन करे और इस ओर ऐसे कदम उठाये जिनकी आवश्यकता हो;

और, चूँकि, संविधान (संतानवे संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसरण में बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 में उपर्युक्त संशोधन के अनुकूल रखने हेतु कई संशोधन अनिवार्य हैं;

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) की धारा-2 का संशोधन।— बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (बिहार अधिनियम 2, 1997) (इसमें आगे उक्त अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 में निम्नलिखित संशोधन की जायेगी:-

(i) उप-धारा (ख) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी; यथा:-

“(ख) “**बोर्ड**” से अभिप्रेत है निदेशक बोर्ड अथवा शासी निकाय अथवा प्रबन्ध समिति, जिस नाम से भी उसे अभिहित किया गया हो, जिसके निदेशन एवं नियंत्रण में सहकारी समिति के कामकाज का प्रबन्ध सौंपा गया हो;”

(ii) उप-धारा (त) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा (थ) (द) (ध) एवं (न) जोड़ी जायेगी, यथा:-

“(थ) “**शीर्ष समिति**” से अभिप्रेत है, सहकारी समिति जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य हो अथवा अन्य कोई सहकारी संघ/परिसंघ जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण बिहार राज्य में हो और जिसे सहकारी समिति के निबन्धक द्वारा शीर्ष समिति के रूप में घोषित किया गया हो।

“(द) “**कृत्यकारी निदेशक**” से अभिप्रेत है नियमावली अथवा सहकारी समिति के उपविधियों में विनिर्दिष्ट समिति के कृत्यकारी कार्यपालक निदेशक।”

“(ध) “**पिछड़े वर्गों**” से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991” (बिहार अधिनियम सं० 3, 1992) की अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सूची, समय-समय पर यथासंशोधित;

“(न) “**अति पिछड़े वर्गों**” से अभिप्रेत है तथा इसमें सम्मिलित है “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991” (बिहार अधिनियम सं० 3, 1992) की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गों के नागरिकों की सूची, समय-समय पर यथासंशोधित;

3. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-23 में संशोधन।— उक्त अधिनियम की धारा-23 में निम्नवत संशोधन किए जायेंगे, यथा:-

(क) उप-धारा (7) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(7) सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया कोई भी व्यक्ति सदस्यता के अधिकारों, जिसमें मताधिकार भी शामिल है, का प्रयोग, सहकारी समिति की उपविधियों में विहित सहकारी समिति के प्रबन्धन में सहभागिता हेतु बुलाई गई बैठकों में यथा अपेक्षित न्यूनतम उपस्थिति तथा अपेक्षित समिति की न्यूनतम सेवाएँ सुनिश्चित करने के बाद ही कर सकेगा;

परन्तु किसी भी व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने का पात्र होने के पूर्व कम से कम एक वर्ष तक सदस्य बने रहना होगा;

परन्तु और कि उपर्युक्त प्रावधान किसी सहकारी समिति के निबन्धन के प्रथम वर्ष में प्रवर्तक सदस्य पर लागू नहीं होगा।”

(ख) उप-धारा (7) के बाद निम्नलिखित नई उप-धाराएँ (8), उप-धारा (9) तथा उप-धारा (10) जोड़ी जायेंगी, यथा:-

- “(8) प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक सदस्य की, सदस्य के साथ अपने कारबार के नियमित संव्यवहार में रखे गये सहकारी समिति की बही, सूचना और लेखा तक, पहुँच की व्यवस्था करेगी।
- (9) सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को सहकारी समिति में संधारित अभिलेखों, सूचनाओं तथा व्यवसाय से संबंधित नियमित संव्यवहारों की लेखाओं के सम्बन्ध में सभी जानकारी/कागजात प्राप्त करने का अधिकार होगा। सहकारी समिति के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रबन्धक सदस्यों को सभी वांछित जानकारी/कागजातों तक पहुँच सुनिश्चित करेगी।
- (10) सहकारी समिति के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली या उपविधियों में विहित प्रावधानों के अधीन शिक्षा तथा सहकारिता सम्बन्धी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार होगा।”

4. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-25 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा-25 में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, यथा:-

(क) उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:-

“(1) अधिनियम तथा उप-विधियों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सहकारी समिति का अंतिम प्राधिकार इसके सामान्य निकाय में निहित होगा। प्रत्येक सहकारी समिति का बोर्ड, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, छह माह के भीतर वार्षिक आम सभा बुलायेगी, जिसमें बोर्ड के सदस्यों एवं उसके पदाधिकारियों के निर्वाचन को छोड़कर उप-धारा (3) के अधीन सभी अथवा किसी विषय पर विचार किया जायेगा।”

(ख) उप-धारा (3) की कंडिका (क) एवं (ख) विलोपित की जायेगी।

5. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 का संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा-26 की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“(2) बोर्ड का आकार, उप-विधियों के अनुसार, पदधारियों सहित अधिकतम इक्कीस सदस्यों का होगा। मुख्य कार्यपालक बोर्ड का पदेन सदस्य होगा। बोर्ड बैंकिंग, प्रबन्धन, वित्त के क्षेत्र का अनुभव रखने वाले अथवा सहकारी समितियों द्वारा जिम्मा लिए गए उद्देश्यों और कार्यकलापों से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा;

परन्तु इस प्रकार सहयोजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी और यह बोर्ड की कुल संख्या के अतिरिक्त होगी;

परन्तु और कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी निर्वाचन में ऐसे सदस्यों को अपनी हैसियत में मत देने का अधिकार नहीं होगा और न उन्हें बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के पात्र होने का अधिकार होगा।

परन्तु यह और कि सहकारी समिति के कृत्यकारी निदेशक भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्य निदेशकों की कुल संख्या की गणना के प्रयोजनार्थ अपवर्जित किये जायेंगे;

परन्तु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के लिए दो स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए दो स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए दो स्थान आरक्षित होगा;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक में यथाविहित स्थानों के आरक्षण के ध्येय से राज्य सरकार, सामान्य अथवा विशेष आदेश के द्वारा, वैसी समितियों अथवा समितियों के वर्ग को जिनमें सदस्यों के रूप में व्यक्ति अन्तर्विष्ट नहीं हैं अथवा जिनमें उपर्युक्त आरक्षण श्रेणियों से सदस्य नहीं हैं, को अपवर्जित कर सकेगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कुल स्थानों के पचास प्रतिशत से अनधिक होगा;

परन्तु और भी कि उपर्युक्त के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे :

परन्तु और भी कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए जो स्थान आरक्षित नहीं किये गये हैं, उनमें से पचास प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किन्तु इससे अनधिक स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे;

परन्तु यह और भी कि इस प्रकार महिलाओं के लिए आरक्षित कुल स्थानों की संख्या दो से अन्यून होगी;

इस प्रकार आरक्षित स्थान, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा महिलाओं के बीच से, निर्वाचन या/ और सहयोजन द्वारा भरे जायेंगे। यह प्रावधान प्राथमिक सोसाइटी से शीर्ष सोसाइटी तक की सभी सोसाइटियों पर लागू होगा;

परन्तु और भी कि प्राथमिक समिति तथा शीर्ष समिति तक ऐसा आरक्षण इस प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा शासित होगा।”

6. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-28 का प्रतिस्थापन। – उक्त अधिनियम की धारा-28 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“**28. पदावधि।** – बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधारियों की पदावधि निर्वाचन की तिथि से पाँच वर्षों की होगी और पदाधारियों की पदावधि बोर्ड की अवधि के साथ का सह-सीमा (को-टर्मिनस) होगी;

परन्तु बोर्ड, बोर्ड में किसी आकस्मिक रिक्ति को बोर्ड द्वारा उस वर्ग के सदस्यों से मनोनयन द्वारा भर सकेगा; जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई हो, यदि बोर्ड की अवधि इसकी मूल अवधि से आधी से कम बाकी हो;

परन्तु यह और कि किसी सहकारी समिति के निर्वाचित बोर्ड में यदि मूल पदावधि से आधे से अधिक की पदावधि बाकी हो, और बोर्ड में किसी कारणवश निर्वाचित सदस्यों एवं पदाधारियों का पद रिक्त हो जाय, तो शेष अवधि के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा उप-निर्वाचन से रिक्ति को भरा जायेगा;

परन्तु यह और भी कि प्रथम बोर्ड की अवधि सहकारी समिति के निबन्धन की तारीख से बारह माह से अधिक नहीं होगी।”

7. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-29 में संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा-29 में निम्नवत संशोधन किये जायेंगे, यथा:—

(क) उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(1) सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन के लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 के अधीन गठित बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार जिम्मेवार होगी।”

(ख) उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(2) वर्हिगामी निदेशकों की अवधि की समाप्ति के पूर्व, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनी नियमावली तथा बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन का संचालन किया जायेगा।”

(ग) उप-धारा (3) विलोपित की जायेगी।

8. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-33 में संशोधन। – उक्त अधिनियम की धारा-33 में निम्नवत संशोधन किये जायेंगे, यथा:—

(क) उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी :-

“(1) सहकारी समिति अपने लेखाओं की लेखा-परीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित पैनल के लेखा-परीक्षक द्वारा कराएगी। ऐसा लेखा-परीक्षक, चाटर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के अर्थान्तर्गत चाटर्ड एकाउन्टेंट होगा या निबन्धक के कार्यालय का होगा। राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित पैनल के लेखा-परीक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक (गणित के साथ) अथवा वाणिज्य स्नातक होगी। ऐसा लेखा-परीक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेंट फर्म को अंकेक्षण का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा। केवल ऐसा लेखा-परीक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेंट फर्म ही सहकारी समिति के लेखाओं का लेखा-परीक्षण करने के पात्र होगा।”

(ख) उप-धारा (4) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:—

“(4) प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक अथवा चाटर्ड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रीति से की जायेगी। लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक सामान्य निकाय द्वारा नियत किया जायेगा; परन्तु यदि अंकेक्षण, निबन्धक के कार्यालय के अंकेक्षक द्वारा किया जाता है तो नियत अंकेक्षण फीस का भुगतान समितियों द्वारा किया जायेगा।”

(ग) उप-धारा (10) के बाद निम्नलिखित नई उप-धारा (11) जोड़ी जायेगी, यथा:—

“(11) शीर्ष सहकारी समिति, अपने लेखाओं के विवरण के अंकेक्षण के उपरान्त, अंकेक्षण प्रतिवेदन, समिति के सामान्य निकाय के अनुमोदनोपरान्त, तीस दिनों के भीतर निबन्धक को अनिवार्य रूप से सुपूर्द कर देगा ताकि उस रिपोर्ट को राज्य सरकार के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार विधान मण्डल के पटल पर रखा जा सके।”

9. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-35 का प्रतिस्थापन। - उक्त अधिनियम की धारा-35 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“35. **वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करना।** - प्रत्येक सहकारी समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर, निबन्धक के समक्ष वार्षिक विवरणियाँ दाखिल करेगी जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल होंगे :-

- (क) कार्यकलापों का वार्षिक रिपोर्ट;
- (ख) लेखाओं का लेखा-परीक्षित विवरण;
- (ग) सामान्य निकाय द्वारा यथानुमोदित अधिशेष निपटान हेतु योजना;
- (घ) सहकारी समिति की उप-विधियों में किये गये संशोधनों की सूची, यदि कोई हो;
- (ङ) निर्वाचन, यदि नियत हो, के संचालन और सामान्य निकाय की सभा के आयोजन की तारीख से संबंधित घोषणा;
- (च) निबन्धक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य सूचना जो अधिनियम के किसी प्रावधान के पालन हेतु आवश्यक हो।”

10. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-41 के बाद एक नई धारा-41 क. का अन्तःस्थापन। - उक्त अधिनियम की धारा-41 के बाद निम्नलिखित नई धारा-41क अन्तःस्थापित की जायेगी, यथा:-

“41क. **अधिकरण द्वारा बोर्ड का अधिक्रमण।** - (1) सहकारी समिति के सदस्य से प्राप्त आवेदन पर, यदि अधिकरण की राय में किसी सहकारी समिति का बोर्ड, जिसे राज्य सरकार द्वारा ऋण अथवा वित्तीय सहायता दी गई हो अथवा ऋण सरकारी गारंटी पर दी गई हो, लगातार ऋण अदायगी में चूक कर रहा हो अथवा इस अधिनियम, नियमावली या उप-विधियों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह हो अथवा उसके सदस्यों के हित के विरुद्ध आचरण किया हो या बोर्ड के गठन अथवा कार्य करने में गतिरोध हो तो वह, प्रबंध समिति को अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, अधिकथित करने हेतु अवसर देने के बाद, सकारण लिखित आदेश द्वारा छह माह से अनधिक अवधि के लिए सहकारी समिति के बोर्ड को अधिक्रमित कर सकेगा। अधिकरण इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश को अभिलिखित करेगा और निबन्धित डाक से सम्बन्धित सहकारी समिति को सूचित करेगा:

परन्तु बैंकिंग कारोबार करने वाली सहकारी समिति के मामले में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे:

परन्तु और कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी समिति के मामले में बोर्ड के अधिक्रमण की अधिकाधिक अवधि एक वर्ष की होगी:

परन्तु और भी कि बैंकिंग का कारोबार करने वाली सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा।

- (2) जब कोई सहकारी समिति उप-धारा (1) के अधीन अधिक्रमण के अधीन हो तो अधिकरण समिति के कार्य संचालन के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी। इस उप-धारा के अधीन नियुक्त प्रशासक विनिर्धारित अवधि के भीतर सहकारी समिति के बोर्ड के निर्वाचन हेतु आवश्यक कार्यवाई करेगा तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबन्ध का कार्यभार सौंप देगा।
- (3) उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक अधिकरण द्वारा यथा नियत ऐसा पारिश्रमिक, जिसे वह सहकारी समिति के कारबार के क्रियान्वयन के लिए उचित समझे, प्राप्त करेगा। इस प्रकार नियत पारिश्रमिक सहकारी समिति के खाते से भुगतये होगा।
- (4) उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक, अधिकरण द्वारा निर्मित सेवा शर्तों के अधीन कार्य करेगा तथा इस अधिनियम, नियमावली एवं समिति की उप-विधियों के अधीन बोर्ड को समनुदेशित सभी कर्तव्यों का पालन तथा दायित्वों का निर्वहन करेगा:

परन्तु अधिकरण को अधिक्रमण की अवधि के दौरान प्रशासक को बदलने की शक्ति होगी।”

11. बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-42 का संशोधन। - उक्त अधिनियम की धारा-42 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:-

“(1) इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि -

- (क) कोई सहकारी समिति अथवा उसका कोई पदाधिकारी अथवा सदस्य जानबूझकर मिथ्या विवरणी बनाता है या मिथ्या सूचना देता है अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा निबन्धक को उससे अपेक्षित जानकारी जानबूझकर नहीं भेजता है;
- (ख) कोई व्यक्ति जानबूझकर अथवा बिना किसी युक्तिसंगत सफाई के किसी सम्मन, अधियाचना अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्गत, विधिसम्मत लिखित आदेश की अवज्ञा करता है;
- (ग) कोई नियुक्ता जो बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने कार्मिकों से कटौती की गई राशि को, कटौती की तिथि से चौदह दिनों के भीतर, सहकारी समिति को भुगतान करने में असफल होता है;

- (घ) कोई पदाधिकारी अथवा अभिरक्षक, उस सहकारी समिति की, जिसका वह पदाधिकारी या अभिरक्षक हो, पंजियों, लेखाओं, दस्तावेजों, अभिलेखों, नकद, प्रतिभूति एवं अन्य परिसम्पत्तियों की अभिरक्षा अधिकृत व्यक्ति को सौंपने में असफल होता है;
- (ङ) कोई व्यक्ति सहकारी समिति के बोर्ड के पदाधिकारियों या सदस्यों के निर्वाचन के पूर्व, या दौरान अथवा पश्चात् भ्रष्ट आचरण में लिप्त होता है।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

22 मई 2013

सं० एल०जी०-1-9/2013/82/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक-15 मई, 2013 को अनुमत बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act 7,2013]

BIHAR SELF-SUPPORTING CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2013

AN

ACT

To amend the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996

PREAMBLE.— Whereas voluntarily constituted Co-operative Societies can lead to the socio-economic betterment of their members as based on their economic participation, democratic control and autonomous functioning so as to act more meaningfully in the interests of their members;

AND, WHEREAS, it is an obligation of the State Government to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the Co-operative Societies in the State and promote them and take such measures as are necessary for this purpose;

AND, WHEREAS, in pursuance of The Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act,2011, many amendments are imperative in the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996; to keep in consonance with above Amendment.

BE IT enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of the Republic of India as follows: -

1. *Short title, extent and commencement.* – (1) This Act may be called the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in Section-2 of the Bihar Act 2 of 1997.*— In Section-2 of the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996 (Bihar Act 2, 1997) (here in after referred to as the said Act) shall be amended as follows -

(i) Sub-section (b) shall be substituted by the following, namely -

“(b) **‘Board’** means Board of Directors or Governing Body or Managing Committee by whatever name it is designated to whom the management of the affairs of a Co-operative Society is entrusted.”

(ii) After sub-section (p) the following new sub-sections (q), (r), (s) and (t) shall be inserted namely -

“(q) **‘Apex Society’** means, a Co-operative Society whose area of operation covers the whole of the state of Bihar or any Co-operative Federation / Union

having in its area of operation the whole of the State of Bihar and which has been declared as Apex Society by the Registrar of Co-operative Societies.”

“(r) **‘Functional Directors’** means Functional Executive Directors of the Society specified as per rules or Bye-laws of that Co-operative Society.”

“(s) **‘Backward Classes’**— means and includes the list of Backward Classes of citizens specified in Annexure-2 of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. 3, 1992), as amended from time to time;”

“(t) **‘Extremely Backward Classes’**— means and includes the list of Backward Classes of citizens specified in Annexure-1 of the Bihar Reservation of Vacancies in Posts and Services (for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1991 (Bihar Act No. 3, 1992), as amended from time to time;”

3. *Amendment in Section-23 of the Bihar Act 2 of 1997.*— In Section-23 of the said Act shall be amended as follows, namely -

(a) Sub-section (7) shall be substituted by the following -

“(7) A person admitted as a member may exercise the rights of membership, including the right to vote, only after ensuring minimum attendance, as required in the meeting convened for the participation in management of the Society and availing of minimum requisite services of the Society as may be prescribed in the Bye-laws of the Society;

Provided that a person shall have been a member for at least one year before being eligible to exercise the right to vote;

Provided further that the above provision shall not apply to the promoter members in the first year of registration of a Co-operative Society.”

(b) After sub-section (7) the following new sub-sections (8), (9) and (10) shall be added, namely:—

“(8) Every Co-operative Society shall provide access to every member to the books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business with such member.

(9) Every member of a Co-operative Society shall have the right to get all information/documents regarding books, information and accounts of the Co-operative Society kept in regular transaction of its business. The Chief Executive officer/manager of the Co-operative Society shall ensure access to the member to all required information/documents.

(10) The members of any Co-operative Society shall have the right to get member education and co-operative related training as per the rules or Bye-laws made under any provisions of this Act.”

4. *Amendment in Section - 25 of the Bihar Act 2 of 1997.*— In Section - 25 of the said Act shall be amended as follows, namely –

(a) Sub-section (1) shall be substituted by the following, namely -

“(1) Subject to the provisions of this Act and the Bye-laws the ultimate authority of a Co-operative Society shall vest in its General Body. Board of every Co-operative Society shall convene Annual General Meeting within six months from the closer of each financial year, which shall deal with all or any matter dealt with under sub-section (3) except those in relation to the election of members and Office-bearer of the Board.”

(b) Sub-section (3) clause (a) and (b) shall be deleted.

5. *Amendment in Section - 26 of the Bihar Act 2 of 1997.* — Sub-section (2) of Section - 26 of the said Act shall be substituted by the following, namely -

“(2) The size of the Board shall be maximum twenty one members including Office-bearers accordance with the Bye-laws. Chief Executive shall be an ex-officio member of the Board. The Board shall co-opt such persons having experience in the

field of banking, management, finance or specialization in any other field relating to the object and the activities under taken by the Co-operative Societies, as members of the board;

Provided that the number of such co-opted members shall not exceed two and this shall be in addition to the total members of the board:

Provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the Co-operative Society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as Office-bearers of the Board:

Provided further also that the Functional Directors of a Co-operative Society shall also be the members of the board and such members shall be excluded for the purpose of counting the total number of Directors:

“Provided that there shall be reservation of two seats for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, two seats for the Backward Classes and two seats for the Extremely Backward Classes on the Board of every Co-operative Society:

Provided further that for the purpose of reservation of seats as in the above proviso, the State Government may, by general or special order, exclude the Board of societies or class of societies not consisting of individuals as members or not having members from above categories of reservation:

Provided further that the total number of seats so reserved shall not exceed fifty percent of the total number of seats:

Provided further also that as nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats so reserved shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Extremely Backward Classes, as the case may be:

Provided further also that as nearly as but not exceeding fifty percent of the total number of seats not reserved above for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, the Backward Classes and the Extremely Backward Classes shall be reserved for women:

Provided further also that the total number of seats so reserved for women shall not be less than two.

The seats so reserved shall be filled up from amongst the members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, Backward and Extremely Backward Classes and women either by election or/and by co-option. This provision shall apply to all societies from the Primary Society and up to the Apex Societies:

Provided further also that such reservation in Primary Society and up to the Apex Society shall be governed by the rules made under this Act for this purpose.”

6. *Sub-section of Section - 28 of the Bihar Act 2 of 1997.* — Section - 28 of the said Act shall be substituted by the following, namely -

“**28. Term of office.** - The term of office of elected members of the Board and its Office-bearers shall be five years from the date of election and the term of office of the Office-bearers shall be co-terminus with the term of the Board;

Provided that the Board may fill a casual vacancy in the Board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of the board is less than half of its original term;

Provided further also that if more than half of the term of original term of elected Board remains and any post of elected members and Office-bearers becomes vacant, the vacancy will filled by By-election by The Bihar State Election Authority for the remaining period;

Provided further that the term of the first Board shall not exceed twelve months from the date of registration of the Co-operative Society.”

7. *Amendment in Section - 29 of the Bihar Act 2 of 1997.* — In Section - 29 of the said Act shall be amended as follows, namely -

(a) Sub-section (1) shall be substituted by the following, namely -

“(1) The Bihar State Election Authority constituted shall be responsible for the conduct of elections of the board of a Co-operative Society under The Bihar State Election Authority Act, 2008.

(b) Sub-section (2) shall be substituted by the following, namely -

“(2) The election shall be conducted before the expiry of term of the outgoing director by the Bihar State Election Authority in the manner specified under the provisions of the Bihar State Election Authority Act, 2008 and Rules made there under and as per the provisions of the Bihar Self-Supporting Co-operative Societies Act, 1996 and Rules made there under.”

(c) Sub-section (3) shall be deleted.

8. *Amendment in Section - 33 of the Bihar Act 2 of 1997.*— In the said Act Section-33 shall be amended as follows, namely -

(a) Sub-section (1) shall be substituted by the following, namely -

“(1) A Co-operative Society shall get its accounts audited by Auditor from a Panel approved by State Government or the authority authorized by the State Government, at least once in every financial year. Such Auditor shall either be Chartered Accountants within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 or from the office of the Registrar. The minimum educational qualification of the Auditors from a panel approved by State Government or an authority authorized by the State Government shall be Graduate (with Mathematics) or commerce Graduate from any approved university. Such Auditor or Chartered Accountants firm shall be required to have at least three years of audit experience. Only such Auditor or Chartered Accountants firm shall be eligible for the audit of the accounts of Co-operative Society.”

(b) Sub-section (4) shall be substituted by the following, namely -

“(4) The audit of the accounts of every Co-operative Society shall be done by the Auditor or Chartered Accountant firm in the manner specified under sub-section (1), appointed by the General Body of Co-operative Society. The remuneration of the Auditor shall be fixed by the General Body;

Provided that if the audit is done by the Auditor from the office of the Registrar, Co-operative Societies shall pay the audit fee fixed by the Registrar.”

(c) After sub-section (10) the following new sub-section (11) shall be added, namely -

“(11) Apex Co-operative Society with the approval of General Body shall compulsorily submit the Audit Report, after the audit of the Statement of Accounts, to the Registrar within thirty days so that the report may be placed in the Legislature through State Government in accordance with the procedure laid down by the State Government for this purpose.”

9. *Substitution of Section - 35 of the Bihar Act, 2 of 1997.* — Section - 35 of the said Act shall be substituted by the following, namely -

“35. Filing Annual Statements of Accounts. - Every Co-operative Society shall file Annual Statement of Accounts before the Registrar within six months of the end of financial year which shall include following subjects:

- (a) Annual Report of the activity;
- (b) Audited Statement of the Accounts;
- (c) Plan to deal with the surplus as approved by General Body;
- (d) List of the amendments done, if any, in the Bye-laws of the Co-operative Society;
- (e) Declaration relating to the conduct of election, if due, and date for the arrangement of General Body meeting;
- (f) Any other information notified by Registrar, if required to carry out any of the provisions of the Act.”

10. *Insertion of a new Section - 41A after Section - 41 of the Bihar Act 2 of 1997.* — In the said Act after Section - 41 the following new Section - 41A shall be inserted, namely -

“**41A. Supersession of the Board by the Tribunal.** - (1) If in the opinion of the Tribunal, upon the receipt of application from the member of the Co-operative Society, the Board of any Co-operative Society, where loan or financial aid has been provided by the State Government or loan has been provided on Government guarantee, is persistently making defaults or is negligent in the performance of the duties imposed on it by this Act, the Rules or the Bye-laws, or conducted against the interest of its members or there is stalemate in the formation or functioning of the Board, he may, after giving opportunity to the managing committee to state its objection, if any, by order with reasons in writing supersede the Board of the Co-operative Society for a period not exceeding six months. The members of the Boards of societies so superseded shall not be eligible for reelection for five years from the date of supersession. Tribunal shall record every order passed under this section in writing and inform the concerned Co-operative Society through registered post;

Provided that in case of Co-operative Society carrying on the business of banking, provisions of Banking Regulation Act, 1949 shall also apply;

Provided further that in case of Co-operative Society carrying the business of banking, the maximum period of supersession shall be of one year;

Provided further also that the supersession of the Board of the Co-operative Society having banking operation shall be done in consultation with the Reserve Bank of India.

- (2) When any Co-operative Society is under supersession under sub-section (1), the Tribunal shall appoint an Administrator to conduct the affairs of the Society. The Administrator appointed under this sub-section, shall take necessary action for the election of the Board of Co-operative Society within the specified period and shall hand over the management to elected Board.
- (3) The Administrator appointed under sub-section (2) shall get remuneration, as may be fixed by the Tribunal, as he deems fit to carry on the business of the Co-operative Society. The remuneration so fixed shall be payable from the accounts of Co-operative Society.
- (4) Administrator appointed under sub-section (2) shall work under the service condition laid down by the Tribunal and shall perform all the duties and carry on responsibilities assigned to the Board under this Act, rules and the Bye-laws of Society:

Provided that the Tribunal shall have the power to change the Administrator during the period of supersession.”

11. *Substitution of Section - 42 of the Bihar Act 2 of 1997.* — Sub-section (1) of Section - 42 of the said Act shall be substituted by the following, namely:-

“(1) It shall be an offence under this Act if-

- (a) a Co-operative Society or an officer or member thereof willfully makes a false return or furnishes false information, or any person willfully not furnishes any information required from him by a person authorised in this behalf under the provisions of this Act;
- (b) any person willfully or without any reasonable excuse disobeys any summons, requisition or lawful written order issued under the provisions of the this Act;
- (c) any employer who, without sufficient cause, fails to pay to a Co-operative Society amount deducted by him from its employee within a period of fourteen days from the date on which such deduction is made;
- (d) any officer or custodian who willfully fails to handover custody of books, accounts, documents, records, cash, security and other property belonging to a Co-operative Society of which he is an officer or custodian, to an authorised person; and

- (e) any person indulges in the corrupt practices before, during or after the election of the Office-bearer or member of the Board of the Co-operative Society.”

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 400-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>